I/90394/2023

I/90394/2023

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–1

संख्या– /XVIII(1)/2023-04(1)/2017

देहरादूनः दिनांकः 11 जनवरी, 2023

मा0 मंत्रिमण्डल के आदेश संख्या–4/2/XI/XXI/2022-सी0एक्स, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन के क्रम में राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–1/88959/2023, दिनांक 05.01.2023 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन) सेवा नियमावली, 2022 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन) सेवा नियमावली, 2022 को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां राजस्व अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोपरि।

आज्ञा से,

Signed by Sachin Sharadchandra Kurve
Date: 11-01-2023 14:51:38

(सचिन कुर्वे)
सचिव

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-S II, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 11/01/2023 05:54 PM

I/88959/2023

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– /XVIII(1)/2023-04(02)/2017
देहरादून, दिनांक: 05 जनवरी, 2023

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुये श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, समूह 'क' और 'ख' सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड, राजस्व परिषद, अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन) सेवा नियमावली, 2022

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजस्व परिषद, अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन) सेवा नियमावली, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. राजस्व परिषद सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह "क" और "ख" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अनुभाग अधिकारी के पद के संबंध में "आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद" और सेवा में अन्य पदों के सम्बन्ध में "अध्यक्ष, राजस्व परिषद" उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(ख) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, अभिप्रेत है,

(ग) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थाई रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(घ) "अध्यक्ष" से अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड से अभिप्रेत है,

(ङ) "राजस्व परिषद" से राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

(च) "आयुक्त एवं सचिव" से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 05/01/2023 03:30 PM

(छ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(ज) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।

(झ) "सेवा" से राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड सेवा अभिप्रेत है,

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ट) "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(ठ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है।

भाग दो– संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4.** (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट–1 में दी गयी है:

परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ती का हकदार नहीं होगा।

या

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन– भर्ती

भर्ती का स्रोत **5.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी,अर्थातः–

(एक) अनुभाग अधिकारी राजस्व परिषद सेवा संवर्ग में कार्यरत स्थायी समीक्षा अधिकारियों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 05/01/2023 03:30 PM

(दो) सहायक राजस्व आयुक्त (प्र0) राजस्व परिषद सेवा संवर्ग में कार्यरत स्थायी अनुभाग अधिकारियों से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा

(तीन) उप राजस्व आयुक्त (प्र0) राजस्व परिषद सेवा संवर्ग में कार्यरत स्थायी सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रोन्नति के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार– अर्हता

अर्हता 7. (1) सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिएः–

क अनुभाग अधिकारी–

मौलिक रूप से नियुक्त स्थायी समीक्षा अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को समीक्षा अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्षों की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वाराः–

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसे स्थायी समीक्षा अधिकारियों को जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्षों की सेवा जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, की हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।

ख सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन)

मौलिक रूप से नियुक्त स्थायी अनुभाग अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अनुभाग अधिकारी के रूप में कम से कम पाँच वर्षों की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) की हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

ग उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन)

मौलिक रूप से नियुक्त स्थायी सहायक राजस्व आयुक्त (प्र0) में से जिन्होंने सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) के रूप में कम से कम पाँच वर्षों की सेवा (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के

माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को पात्रता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी, इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने अपेक्षित सेवा अवधि पूरी नहीं की है, पात्रता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा।

भाग पांच– भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

8. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

अनुभाग अधिकारी के पद पर भर्ती की प्रक्रिया

9. अनुभाग अधिकारी के पद पर भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसार की जायेगी।

सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन)

10. (1) सहायक राजस्व आयुक्त एवं उप राजस्व आयुक्त के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग से बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नाति के लिए चयन प्रक्रिया निमावली, 2013 समय समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 एवं तत्क्रम में (समय–समय पर यथा संशोधित) के उपबन्धों के अनुसार गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से दिये गये मानदण्ड के अनुसार की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ विभागीय चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, P.O-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 05/01/2023 03:30 PM

भाग छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 11. मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 9 या 10 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों।

परिवीक्षा 12. (1) प्रत्येक व्यक्ति को –

अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) या उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन) के पद की मौलिक रिक्ति में एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा, और

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जायः–

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि छः मास से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 13. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया है;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; और

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 05/01/2023 03:30 PM

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 14. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की जयेष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं:

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा;

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या विभागीय चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय ;

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

भाग सात :–वेतन इत्यादि

वेतनमान 15. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट–1 में दिये गये हैं।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 16. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन सिफारिश से भिन्न सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर

88959/2023
/88959/2023

से अपनी अभ्यर्थिता के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन **17.** ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता **18.** जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्त्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति **19.** इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिसका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(सचिन कुर्वे)
सचिव

Generated from eOffice by SANTOSH NIRA A, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 05/01/2023 03:30 PM

परिशिष्ट–1

{नियम 4 (2) और 13 (2) देखिए}

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रू0 में)	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स
			वेतनमान	लेवल
1	2	3	5	7
1	अनुभाग अधिकारी	06	56100–177500	10
2	सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन)	01	67700–208700	11
3	उप राजस्व आयुक्त (प्रशासन)	01	67700–208700	11

आज्ञा से,

Signed by Sachin Shankarchandra Kurve
Date: 05-01-2023 15:16:00

(सचिन कवे)
सचिव

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 05/01/2023 03:30 PM

88231/2023

88231/2023

In pursuance of the provision of clause (3) of articles 348 of 'the **Constitution of India'**, the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. T /88231/ Dehradun, dated: 2022 for general information. /2023

Government of Uttarakhand
Revenue Section- 1
No. /XVIII(1)/2022-04(02) 2017
Dehradun, Dated: 05 December, 2022 Jan

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of "the Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, for regulating the recruitment and condition of services of persons appointed to the services of the Uttarakhand Revenue Board Group "A" and "B" Service:-

The Uttarakhand Revenue Board, Section Officer, Assistant Revenue Commissioner (Administration) and Deputy Revenue Commissioner (Administration) Service Rules, 2022

PART-I-General

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Revenue Board, Section Officer, Assistant Revenue Commissioner (Administration) and Deputy Revenue Commissioner (Administration) Service Rules, 2022.

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Revenue Board Service is a state service, which comprises Group "A" and "B" posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(a) **"Appointing Authority"** means Commissioner and Secretary, Revenue Board in relation to post of Section Officer and Chairman Revenue Board, Uttarakhand in relation to other posts in the service;

(b) **"Commission"** means the Uttarakhand Public Service Commission;

(c) **"Member of the Service"** means a person substantively/permanantly appointed under these rules of or orders enforce prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(d) **"Chairman"** means Chairman, Revenue Board, Uttarakhand;

(e) **"Revenue Board"** means Board of Revenue, Uttarakhand;

(f) **"Commissioner and Secretary"** means Commissioner and Secretary, Revenue Board of,

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 03/01/2023 04:55 PM

Uttarakhand;

(g) **"Government"** means Government of Uttarakhand;

(h) **"Governor"** means Governor of Uttarakhand;

(i) **"Service"** means the Revenue Board, Uttarakhand;

(j) **"Substantive appointment"** means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rule and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(k) **"Year of recruitment"** means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year;

(l) **"Constitution"** means the Constitution of India.

PART-II
CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the employees/officers in the service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the employees/officers in the service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) as given in **Appendix-"1"** :

Provided that-

(I) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to the compensation; or

(II) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III
RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in service shall be made from the following sources:-

(i) By promotion on the basis of seniority from amongst serving as a permanent Review Officer in the Section Officer, Revenue Board Service

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 03/01/2023 04:55 PM

10

/88231/2023

Cadre, subject to the rejection of unfit.

(ii) By promotion on the basis of seniority from amongst serving as a permanent Section Officer in the Assistant Revenue Commissioner (Administration), Revenue Board Service Cadre, subject to the rejection of unfit.

(iii) By promotion on the basis of seniority from amongst serving as a Assistant Revenue Commissioner (Administration) in the Deputy Revenue Commissioner (Administration), Revenue Board Service Cadre, subject to the rejection of unfit.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes, Economically Weaker Sections and other category to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Academic Qualification

7. A candidate must have following qualifications for the recruitment to the various posts in the service:-

(a)	Section Officer	By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed as a Review Officer or/and in a higher post, who have completed atleast ten years of service (in which also including temporary service): Provided that if suitable candidates are not available for promotion, then,the field of eligibility may be expanded to include such permanent Review Officers who have completed five years Service including temporary service, as such, on the first day of the year of the recruitment.
(b)	Assistant Revenue Commissioner (Administration)	By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed as a permanent Section Officer or/and in a higher post, who

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 03/01/2023 04:55 PM

		have completed atleast five years of service (in which also including temporary service):
(c)	Deputy Revenue Commissioner (Administration)	By promotion through the Departmental Selection Committee from amongst substantively appointed as a Assistant Revenue Commissioner(Administration) or/and in a higher post, who have completed atleast five years of service (in which also include temporary service):

(2) If a junior person is included in the area of eligibility, then, the person senior to him shall also be included in the area of eligibility notwithstanding the fact that he has not completed the requisite period of service.

PART-V

PROCEDURE FOR RECRUITIMENT

Determination of vacancies

8. The Appointment Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other Categories belonging to State of Uttarakhand under rule 6.

Procedure of recruitment for the post of Section Officer

9. Recruitment by promotion to the post of Section Officer shall be made on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, in accordance with the provisions of the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 (as amended from time to time).

Assistant Revenue Commissioner (Administration) and Deputy Revenue

10. (1) Recruitment by promotion to the post of Assistant Revenue Commissioner (Administration) and Deputy Revenue Commissioner (Administration) shall be made in accordance with norms given in the provision of the Uttarakhand (Outside the Purview of Public Service

231/2023
231/2023

Commissioner (Administration)

Commission) Selection Procedure For Promotion Under State Service Rules, 2013 (as amended from time to time) and the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee (Outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002 (as amended from time to time).

(2) Appointment Authority shall prepare an eligibility list of the candidates and place it before the selection committee along with their character rolls and such other record pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The selection committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and if it considers necessary, it may take interview of the candidates also.

(4) The selection committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority, and forward the same to the appointing authority.

PART-VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment 11. On substantive appointment, the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates, in the order, in which they stand in the lists prepared under rules 9 or 10 as the case may be.

Probation 12(1) A person-

Insubstantive vacancy in the post of the Section Officer, Assistant Revenue Commissioner (Administration) or Deputy Revenue Commissioner (Administration) shall be on probation for a period of one year.

(1) the appointing authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted: :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstances beyond one year.

(3) if it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 03/01/2023 04:55 PM

I/88231/2023

opportunities, he may be reverted to his substantive post.

(4) a probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation 13. A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory.

(b) his integrity is certified; and

(c) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority 14(1) In addition to the arrangement made hereinafter, the determination of seniority of a person shall be made as per the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002. If two or more persons are appointed together, their seniority shall be determined in the order in which their names are arranged in their appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, shall be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it shall mean the date of issue of the order.

((2) The seniority inter se of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Commission or Departmental Selection Commission:

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him.

(3)The seniority inter se of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department, on 03/01/2023 04:55 PM

8231/2023
8231/2023

Pay etc.

Pay Scale 15. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scale of pay at the time of the Commencement of these rules is given in **Appendix '1'**.

PART-VIII

OTHER PROVISIONS

Canvassing 16. No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the Post or Service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters 17. In relation to such subjects, which do not fall under these rules or special orders, such persons employed in the service shall be regulated by the regulations and orders generally applicable to the serving government servants related to the affairs of the state.

Relaxation from the conditions of service 18. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, not with standing anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax than requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving

Provided that Where any rule has been made in consultation with the commission the commission shall be consulted before dispensing with or relieving the requarely of that rule.

19. Nothing in these rules shall affect in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard. Such other concessions as may be required to be provided for person recruited to various catagories of posts in the Service in accordance with the orders of the government issued from time to time in this regard.

By Order,

Signed by Sachin Sharadchandra Kurve
Date: 03-01-2023 13:43:03
(Sachin Kurve)
Secretary

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 03/01/2023 04:55 PM

I/88231/2023

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 03/01/2023 04:55 PM

I/88129/2023

Appendix-1

{see rule 4 (2) and 13 (2)}

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Pay Scale (In Rs.)	Pay matrix as per 7th pay commission
			Pay Scale	Level
1	2	3	4	5
1.	Section Officer	06	56100-177500	Level-10
2.	Assistant Revenue Commissioner (Administration)	01	67700-208700	Level-11
3.	Deputy Revenue Commissioner (Administration)	01	67700-208700	Level-11

By Order,

Signed by Sachin Sharadchandra Kurve
Date: 03-01-2023 10:33:14
(Sachin Kurve)
Secretary

Generated from eOffice by SANTOSH NIRALA, RO-SN, REVIEW OFFICER, Revenue Department on 03/01/2023 04:53 PM